न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क.-409/11</u> <u>संस्थित दिनांक- 07.09.11</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. नेपाल सिंह पुत्र बाबूलाल यादव उम्र 37 साल
- 2. भरत सिंह पुत्र बाबूलाल यादव उम्र 28 साल
- 3. लल्लू सिंह पुत्र बाबूलाल यादव उम्र 26 साल
- 4. मुखिया पुत्र नन्नू सिंह यादव उम्र 24 साल सभी निवासी ग्राम ललाई चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :-

(आज दिनांक 06.03.17 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—294, 341, 323, 323/34 दो शीर्ष, 324, 324/34, दोशीर्ष, 325, 325/34, 506 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.08.11 को शामं 08:00 बजे लगभग थाना चंदेरी के ग्राम ललोई स्थित बावनी बउ देवता का चबूतरा जो कि लोक स्थान है पर फरियादी भानुप्रताप को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित करते हुये फरियादी भानुप्रताप एवं महेंद्र को उपहति

(2) <u>दांडिक प्रकरण क.-409/11</u>

कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में भानुप्रताप को स्वेच्छया घोर उपहित कारित करने के साथ दोनों भानुप्रताप एवं महेंद्र को धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की एंव जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी भानुप्रताप सिंह कि भैंस में किसी न कुल्हाडी मार दी थी जिसका फरियादी द्वारा गांव में सभी लोगों का ईमान करा कराया था। गांव के नेपाल सिंह ने ईमान नहीं किया था इसी बात पर नेपाल से फरियादी भानुप्रताप की कहा सुनी हो गयी थी। फरियादी भानुप्रताप दिनांक-11.08.11 को 08:00 बजे करीब बावनी बउ देवता के चबूतरा पर बैठा था तो अभियुक्त नेपाल सिंह फरसा, भरत सिंह कुल्हाडी, लल्लु लुहांगी व मुखिया लाठी लेकर आये और सभी अभियुक्तगण कहने फरियादी भानुप्रताप से कहने लगे तूने हमारा झूठा नाम भैंस में कुल्हाडी देने का क्यों लगाया और इसी बात अभियुक्तगण फरियादी भानुप्रताप को मादर चोद व बहिनचोद की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। जब फरियादी भानुप्रताप सुन कर घर जाने लगा तो तुम सभी अभियुक्तगण ने फरियादी का रास्ता रोककर उसे जाने नही दिया, अभियुक्त लल्लु ने लुहांगी मारी जो फरियादी के दाये पैर के घुटने पर लगी जिससे मुन्दी चोट आई एक लुहांगी और मारी जो फरियादी के पैर की जांघ पर लगी जिससे मुन्दी चोट आई। अभियुक्त मुखिया ने लगातार दो बार लाठी मारी जो फरियादी के पीठ में दो जगह लगी जिससे उसे मुन्दी चोट आई। जब फरियादी चिल्लाया तो उसे बचाने के लिये महेन्द्र सिंह आया तो नेपाल सिह व भरतसिह ने फरसा कुल्हाडी से महेंद्र सिह को भी मारा उससे उसके दाहिने बखा दाये तरफ गर्दन में दाहिने कनपटी एवं दाये तरफ कपार में एवं बाये हाथ की गददी पर चोट आकर खून निकल आया, तब अवधेश, लाखन, सुखमान ने मौके पर आकर बचाया तो चारो अभियुक्तगण जाते जाते कहने लगे कि आज तो बच गये किसी दिन जान से खत्म कर
- 03— फरियादी भानुप्रताप द्वारा घटना के दूसरे दिन दिनांक—12.08.11 को पुलिस चौकी थूबोन में जाकर घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 लेख बद्ध कराई गई थी। जो कि पुलिस चौकी थूबोन में अपराध कमांक 023/11 अंतर्गत धारा 341, 294, 323, 506 बी, 34 भादिव के तहत लेखबद्ध कराई। उक्त रिपोर्ट की असल कायमी उक्त दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—341/11 अंतर्गत धारा—341, 294, 323, 506 बी, 34 भा0द0वि0 के तहत की जाकर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—06.03.17 को फरियादी भानुप्रतापा व आहत महेंद्र के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा— 294, 341, 323, 323/34 दो शीर्ष, , 325,325/34, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—324, 324/34, दोशीर्ष शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

(3) <u>दांडिक प्रकरण क.-409/11</u>

- 05— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र०सं० में कहना है कि वह निद्रोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक—11.08.11 को शामं 08:00 बजे लगभग थाना चंदेरी के ग्राम ललोई स्थित बावनी बउ देवता का चबूतरा पर फरियादी भानुप्रताप व आहत महेंद्र को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार वस्तु से फरियादी भानुप्रताप व महेंद्र को स्वेच्छया उपहित कारित की ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 07— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादी भानुप्रताप अ०सा0—1 व आहत महेद्र अ०सा0—2 के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी भानुप्रताप अ०सा0—1 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है अभियुक्त नेपाल ने उसकी भैंस में कुल्हाडी मार दी थी जिसके संबंध में उसने अभियुक्त नेपाल से पूछा था तो अभियुक्त ने कुल्हाडी मारने की बात से इंकार कर दिया था और इसी बात पर अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को उसे मा बहन की गालियां दी थी। इस साक्षी के अनुसार मौके पर उसके भाई महेंद्र अ०सा० 2 व गाव वालों के आने पर आरोपीगण वहां से भाग गये थे।
- 08— फरियादी भानुप्रताप अ0सा0 1 का कहना है कि आरोपीगण से केवल उसका मुंहवाद हुआ था आरोपीगण ने उसके साथ केवल गाली गलौच की थी। जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस चौकी थूबोन में लेखबद्ध कराई थी। फरियादी भानुप्रताप अ0सा0 1 के द्वारा न्यायालय में बताई गई उपरोक्त घटना के समर्थन में महेंद्र अ0सा0 2 ने भी न्यायालय में कथन दिये हैं। फरियादी भानुप्रताप अ0सा0 1 अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण से विवाद नेपाल द्वारा उसकी भैंस में कुल्हाडी मारने को लेकर होना बताया है जिसके संबंध में प्र0पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है।
- 09— अतः फरियादी व अभियुक्तगण के मध्य विवाद का कारण अभियुक्त नेपाल के द्वारा उसकी भैस में कुल्हाडी मारना था, इस संबंध में फरियादी भानुप्रताप अ0सा0 1 ने अभियोजन के समर्थन में कथन दिये है जिसको बचाव पक्ष की ओर से भी कोई चुनौती नही दी गई है जिसकी पुष्टि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट से भी होती है, तथा प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा दियें गये सुझाव से कि घटना के समय आरोपीगण खाली हाथ थे जिस पर फरियादी द्वारा सहमति भी दी गई है, से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी की भेंस में कुल्हाडी मारने की बात पर से घटना दिनांक को आरोपीगण का फरियादी से विवाद हुआ था।

- 10— फरियादी भानुप्रताप अ०सा० 1 का कहना है कि घटना में आरोपीगण ने उसे मात्र गालिया दी थी इसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई तथा उसके भाई महेंद्र अ०सा० 2 व गाव वालों के आने से आरोपीगण वहां से भाग गर्ये थे। इस संबंध में फरियादी के कथनों का समर्थन महेद्र असा 2 ने भी अपने कथनों में किया है अर्थात इन दोनों ही साक्षियों के अनुसार घटना में केवल मुंहवाद हुआ था। फरियादी भानुप्रताप अ०सा० 1 के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके दर्जें करायीं गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथमी0-1 से मेल नहीं खाती है, क्योंकि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण ने घटना में हथियारों से सुसज्जित होकर फरियादी भानुप्रताप अ०सा० 1 सहित महेंद्र अ०सा० 2 के साथ मारपीट कर उपहति भी कारित की थी जिसमें भानप्रताप को गंभीर उपहति भी कारित की थी, जिससे फरियादी के कथनों की पृष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 से नही होती है।
- 11— अभियोजन का समर्थन न करने के कारण एवं अभियोजन कहानी के विरूद्ध कथन देने से फरियादी भानुप्रताप सिंह अ०सा० 1 व महेंद्र अ०सा० 2 को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर फरियादी का विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु भानुप्रताप सिंह अ०सा० 1 व महेंद्र अ०सा० २ ने अपने संपूर्ण परीक्षण में अभियोजन का आरोपित अपराध के संबंध में लेषमात्र भी समर्थन नही किया। भानुप्रताप सिंह अ०सा० 1 ने अपने परीक्षण में अभियोजन की ओर से दिये गये सुझाव की घटना अभियुक्तगण ने उसके साथ लाठी लुंहागी, फर्सा व कुल्हाडी से मारपीट की थी, का स्पष्ट रूप से खण्डन करते हुये यह कथन दिये है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और न ही उसने पुलिस को प्र0पी 1 में ऐसी कोई घटना लेख कराई। फरियादी भानुप्रताप सिंह अ०सा० 1 का अभियोजन के विरूद्ध यह कहना है कि उसका आरोपीगण से मात्र मुंहवाद हुआ था फरियादी के अनुसार आरोपीगण ने न तो उसके साथ कोई मारपीट की और न ही घटना में उसे कोई चोट आई वहीं अभियोजन कहानी के अनुसार महेंद्र अ०सा० २ अपने न्यायालीन कथनों में घटना के समय उपस्थित होने एवं उसके साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की घटना से ही इंकार करता है। फरियादी भानुप्रताप अ०सा० 1 व महेद्र अ0सा0 2 घटना में आरोपीगण द्वारा मात्र गाली गलौच की जाना बताते है तथा मारपीट की घटना से इंकार करते है तथा यह दोनों ही साक्षी स्वयं को आई चोट अभियुक्तगण द्वारा कारित न किया जाकर मोटरसाइकिल से गिरने से आना बताते हैं।
- 12— भानुप्रताप अ०सा० 1 व महेंद्र अ०सा० 2 ने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरूद्ध एवं दर्ज कराई गई प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट या उपहति उन्हें कारित करने से इंकार करते हुये घटना में कोई चोट न आना बताया है तथा माटरसाईकिल से गिरने से चोटें आना बताया है। जिससे यह स्पष्ट होता है भानुप्रताप अ०सा० 1 व महेंद्र अ०सा० 2 के अनुसार अभियुक्तगण ने न तो उनके साथ कोई मारपीट की न ही घटना में उन्हें कोई चोटे आई।
- 13— अतः साक्ष्य के अभाव में एवं साक्षियों के द्वारा अभियोजन घटना के समर्थन में कथन न देने से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने दिनांक-11.08.11 को शामं 08:00 बजे लगभग थाना चंदेरी के ग्राम ललोई स्थित बावनी बउ देवता का चबूतरा पर फरियादी भानुप्रताप व आहत महेंद्र को उपहति कारित करने का सामान्य आशय

निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार वस्तु से फरियादी भानुप्रताप व महेंद्र को स्वेच्छया उपहति कारित की।

- 14— फलस्वरूप अभियुक्तगण नेपाल सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, भरत सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, लल्लू सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, मुखिया पुत्र नन्नू सिंह यादव के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324, 324/34 दो शीर्ष के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण अभियुक्तगण नेपाल सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, भरत सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, लल्लू सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, मुखिया पुत्र नन्नू सिंह यादव को भा०दं०वि० की धारा—324, 324/34 दो शीर्ष के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15— <u>अभियुक्तगण नेपाल सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, भरत सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, लल्लू सिंह पुत्र बाबूलाल यादव, मुखिया पुत्र नन्नू सिंह यादव</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)